setting up of raw material depots in areas where handicrafts are yet to develop. In other areas the quantum of central assistance, the Committee suggests, should be stepped up to 60 per cent as against 50 per cent envisaged in the existing scheme.

The Committee has emphasized the need for greater interaction between the Government and voluntary agencies, and suggested that the schemes being operated by the Development Commissioner (Handicrafts) be extended to voluntary oaganisations working all over the country. Such schemes are categorically stated as setting up raw material depots/common facility centres, opening and renovation of sales outlets, exhibitions, supply of improved tools and equipment, apprenticeship training scheme and product design assistance.

In view of the poor resource base of the voluntary agencies, it has been recommended that the pattern of assistance should be modified to raise the Central Government share to 75 per cent with 25 per cent being the share of these bodies. The States should follow this pattern.

The welfare programme for handicraftsmen includes old age pension/ or assistance and medical benefits, and group insurance for craftsmen.

The major recommendations of the Bose Mullick Committee Report are inclusion of more handicrafts items in the list reserved by the DGS & D, equity participation by the Centre for relatively small and new Corporations/Apex Societies, the strengthening of design centres, the establishment of procurement centres and the setting up of a research and development cell.

Special financial assistance by the Centre has been recommended to enable the State Handicrafts Development Corporations/Apex Societies by the Centre to enable them to undertake market surveys, participate in buyer-seller meets, international fairs. In exploring the export market and eligibility conditions for these agencies for the Market Development Fund (MDF) should be amended.

Appointment of an Export Manager by the State Corporations has been suggested to assist in product development and exploration of international markets for export marketing.

(d) The Government, after careful consideration of the report, has incorporated some of the recommendations in the Annual Plan proposals for 1988-89 for the development of handicrafts in the Central Sector.

Dialogue with Naga Rebels

292. SHRI CHITTA BASU: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the Chief Minister of Nagaland has of late suggested the holding of a dialogue with the Naga rebels; and

(b) if so, what is Government's response thereto?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI BUTA SINGH): (a) No such suggestion has been made to Government of India.

(b) Question does not arise.

श्रम मंत्रालय में हिन्दी सलाहकार समिति

293. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय से सम्बद्ध हिन्दी सलाहकार समिति की इस वर्ष कितनी बैठकें हुई और राजभाषा कार्यान्वयन समिति में सभी स्तरों पर गैर-सरकारी सदस्यों को पर्यवेक्षक के रूप में नामित किए जाने के सम्बन्ध में क्या स्थिति है ;

(ख) मंत्रालय, इसके विभागों, संस्थानों और अधीनस्थ कार्यालयों में, हिन्दी अनुभाग को छोड़कर किस-किस अनुभाग में शत-प्रतिशत कार्य हिन्दी में किया जा रहा है तथा यह किस-किस

तारीख से किया जा रहा है तथा किन मामलों में हिन्दी को अब तक नहीं अपनाया गया है तथा इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) को मंत्रालय स्तर से निम्नतम स्तर तक पालन न किए जाने के क्या कारण हैं जबकि अधिनियम को पारित हुए 24 वर्ष तथा वार्षिक कार्यक्रम को तैयार किए 20 वर्ष हो चुके हैं?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) चालू वर्ष के दौरान, श्रम मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की दो बैठकें हुई हैं। समिति के एक गैर सरकारी सदस्य को केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, नई दिल्ली के कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया जाता है।

(ख) राजभाषा नियम, 1976 के नियम 8(4) के अधीन मंत्रालय ने 29 जुलाई, 1987 से कार्य की कुछ मदें निर्दिष्ट की हैं जिनमें उन कर्मचारियों द्वारा हिन्दी में शत-प्रतिशत कार्य हिन्दी में करना पड़ता है जिन्हें इस भाषा में प्रवीणता प्राप्त है। इसी तरह, मंत्रालय के कुछ संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय, अर्थात् श्रम ब्यूरो, सिमला, रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय, नई दिल्ली और कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली ने राजभाषा नियम, 1976 के नियम 8(4) के अधीन क्रमश: 22 जुलाई, 1986 ; 6 सितम्बर, 1987 और 21 सितम्बर, 1987 से कार्य की कुछ मदें निर्दिष्ट की हैं जिनमें उन कर्मचारियों द्वारा हिन्दी में शत प्रतिशत कार्य करना पड़ता है जिन्हें इस भाषा में प्रवीणता प्राप्त है। राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अधीन अधिसूचित मंत्रालय के अन्य कार्यालयों को भी अनुदेश दिए गए हैं कि वे राजभाषा नियम, 1976 के नियम 8(4) के अधीन कार्रवाई करें ताकि हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी ऐसी मदों के बारे में अपना सारा कार्य हिन्दी में कर सकें जिन्हें उपरिलिखित नियम के अधीन निर्दिष्ट किया गया हो।

(ग) राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के उपबंधों का मंत्रालय में पालन किया जा रहा है।

गृह मंत्रालय में हिन्दी सलाहकार समिति

294. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय से सम्बद्ध हिन्दी सलाहकार समिति की इस वर्ष कितनी बैठकें हुई और राजभाषा कार्यान्वयन समिति में सभी स्तरों पर गैर-सरकारी सदस्यों को पर्यवेक्षक के रूप में नामित किए जाने के संबंध में क्या स्थिति है ;

(ख) मंत्रालय, इसके विभागों, संस्थानों और अधीनस्थ कार्यालयों में, हिन्दी अनुभाग को छोड़कर किस-किस अनुभाग में शत-प्रतिशत कार्य हिन्दी में किया जा रहा है तथा यह किस-किस तारीख से किया जा रहा है तथा किन मामलों में हिन्दी को अब तक नहीं अपनाया गया है तथा इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) को मंत्रालय स्तर से निम्न स्तर तक पालन न किए जाने के क्या कारण हैं जबकि अधिनियम को पारित हुए 24 वर्ष तथा वार्षिक कार्यक्रम को तैयार किए 10 वर्ष हो चुके हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) इस वर्ष अभी तक गृह मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की एक बैठक हुई है। इसकी अगली बैठक शीघ्र बुलाने का विचार है। अभी तक गृह मंत्रालय (मुख्य) में ही इसके गैर-सरकारी सदस्य को इसकी राजभाषा कार्यान्वयन समिति में पर्यवेक्षक के रूप में नामित किया गया है।

(ख) और (ग) मंत्रालय के दो अनुभागों अर्थात् (1) प्रशासन-3 अनुभाग (2)